दिनांक 27.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 39/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थ (स्मैक) की तस्करी करने वाल 02 सकिय तस्कर मथुरा से गिरफ्तार।

दिनॉकः 26–07–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गैंग के 02 तस्करों को 470 ग्राम स्मैक के साथ जनपद मथुरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– शिवा पुत्र दीवान सिंह निवासी हाल पता म0न0–12 पुष्प विहार फेस–2 एटीवी थाना हाईवे मथुरा एवं मूल निवासी माल गॉव थाना मर्गोरा जिला मथुरा।

2– देवेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी सेन्ट पॉल कालोनी फेस–1 एटीवी थाना हाईवे जिला मथुरा। मूल निवासी ग्राम धाना तेजा थाना रिफाईनरी जिला मथुरा।

बरामदगीः

1– 470 ग्राम स्मैक व्हाइट, मटमैला पाउडर फार्म में (करीब 6,11,000/–रूपये)

2– 03 अदद मोबाइल फोन

3– रू0 870/–नकद

4– 01 अदद पल्सर ब्लू कलर यूपी–85 सीडब्लू 8629

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–26–07–2025 समय–22.10 बजे जमुना पुल के किनारे ध्रुव घाट चौराहा थाना क्षेत्र सदर मथुरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 26–07–2025 को अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा के नेतृत्व में हे0का0 बल्देव सिंह, हे0का0 अंकित गुप्ता आरक्षी प्रदीप चौधरी, आरक्षी हरपाल सिंह चालक महेश रावत की टीम जनपद मथुरा में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि 02 व्यक्ति नीली पल्सर मोटर साईकिल से ध्रुव घाट चौराहे पर खड़े है, जिसने पास मादक पदार्थ हो सकता है, उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप श्री भूषण वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर मथुरा को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुॅच कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताॅछ पर बताया कि हम लोग संगठित गिरोह बनाकर विगत दो वर्ष से नशीले पदार्थो की तस्करी कर रहे है। जनपद–कासगंज से मोटर साईकिल से स्मैक लाकर मथुरा में सप्लाई करते है। स्मैक किस्टल के रूप में कभी–कभी पाउडर के रूप में लाकर एक–एक ग्राम की पूड़ियॉ बनाकर 1400/–रूपये प्रति पुड़िया के हिसाब से बचेते है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास–</u>

<u>1– शिवा पुत्र दीवान सिंह निवासी म0न0–12 पुष्प विहार फेस–2 एटीवी थाना हाईवे मथुरा।</u>

क0सं0	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1	254/2023	420/482 भांदवि0	रिफाईनरी	मथुरा
2	601/2023	379/411 भांदवि0	हाईवे	मथुरा
3	134/24	323/504/506 भांदवि0	हाईवे	मथुरा
4	162/2024	399/402/414 भांदवि0 व 3/25 आयुध अधि0	हाईवे	मथुरा
5	75/2025	115(2)/351(2) 352 बीएनएस	हाईवे	मथुरा

<u>2–देवेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह</u>

क0सं0	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
01	0301/2021	323/452/504/506 भांदवि0	हाईवे	मथुरा
02	219/2025	8/21/22 एनडीपीएस एक्ट	सदरबाजार	मथुरा

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सदरबाजार जिला मथुरा में मु0अ0सं0 219/2025 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 27.07.2025 को थाना रसूलपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फतेहाबाद रोड़ पर नगला बरी चौराहा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गोविन्द उर्फ सौरभ उर्फ भानू उर्फ जैन साहब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोविन्द उर्फ सौरभ उर्फ भानू उर्फ जैन साहब निवासी फतेहपुरा थाना जैतपुर कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.07.2025 को थाना सेक्टर–63 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बबलूखेड़ा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अतह मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सेक्टर–63 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतह मोहम्मद निवासी बबलूखेड़ा थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

कमिश्नरेट हरदोई/थाना अतरौली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.07.2025 को थाना अतरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अतरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद अहमद निवासी गुलाबनगर थाना सहादतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 26.07.2025 को थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खतौली तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का

प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त लाल सिंह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हापुड़ व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जानसठ पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—लाल सिंह निवासी ग्राम चन्द्रपुर थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद बांदा/थाना मरका</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 66 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.07.2025 को थाना मरका व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिरियाताला औगासी पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–प्रभाकर उर्फ चेतन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–निशान्त 3–अभिषेक सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 66 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.07.2025 को थाना मरका क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मरका पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रभाकर उर्फ चेतन शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर, बरेली, बांदा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मरका पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–प्रभाकर उर्फ चेतन निवासी ग्राम लीला थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

2–निशान्त निवासी ग्राम फरीदाबाद टिकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

3–अभिषेक निवासी ग्राम फरीदाबाद टिकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 66 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना दशाश्वमेध

- **16 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 03 मोबाइल फोन आदि**
- **चोरी के 01 लाख 400 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 27.07.2025 को थाना दशाश्वमेध पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लहरतारा के पास से 16 अभियुक्तों 1–लोगेश्वरन 2–सत्याशीलन 3–राजू एवं 13 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 03 मोबाइल फोन आदि, चोरी के 01 लाख 400 रूपये नगद बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना दशाश्वमेध पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लोगेश्वरन निवासी 3/164 कुट्टुर पुशनुर त्रिचिरापल्ली शहर तमिलनाडू।

2–सत्याशीलन निवासी 393 गांधी नगर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडू

3–राजू निवासी बैन्डील बालीकटा जिला हुगली पश्चिम बंगाल

4–13 अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 03 मोबाइल फोन आदि।

2–चोरी के 01 लाख 400 रूपये नगद।

जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.07.2025 को थाना रिफाइनरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राया से बरेली हाईवे पर चढ़ने वाले पुल के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–अमित कुमार

2–विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार निवासी ग्राम गेरा थाना राया जनपद मथुरा।

2–विकास निवासी ग्राम जोगपुरा थाना राया जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

––––––